न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30/2023

1 रणधीर सिंह पुत्र लादूराम
2 तीजू देवी पुत्र लादूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 कुरड़ाराम पुत्र रामनारायण
2 मोहन सिंह पुत्र रामनारायण
3 बिशनसिंह पुत्र सुल्तान सिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 कुन्दन कंवर पत्नी नत्थुसिंह
5 चन्दन सिंह पुत्र जीवण सिंह
6 तेजसिंह पुत्र समुन्द्र सिंह
7 प्रकाश कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह
8 बलवेन्द्र सिंह पुत्र जीवण सिंह
9 भीमसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
10 मुन्नी कंवर पत्नी माधोसिंह
11 माधोसिंह पुत्र नत्थुसिंह
12 विजय सिंह पुत्र नत्थुसिंह
13 सायर कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
14 हीरालाल पुत्र श्योनाथ जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

15 प्रमोर कंवर पत्नी मानसिंह
16 मेघना कंवर पुत्री मानसिंह
17 हर्षिता कंवर पुत्री मानसिंह
18 कणकपाल सिंह पुत्र मानसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
19 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा एडीबी उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबंधक
20 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धमोरा जरिये शाखा प्रबंधक
21 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. मुकदमा उनवानी
रणधीर सिंह वगे. बनाम कुरड़ाराम वगै. प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955
मु.नं. 269/2021 निर्णय दिनांक 23.01.2023

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 13.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 269/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस द्वारा रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर खेत खसरा नम्बर 488 सरहद मौजा धमोरा के लिये रास्ते की मांग खेत खसरा नम्बर 480, 1722/480, 484, 1507/488 सरहद मौजा धमोरा में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने की मांग की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 23.01.2023 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (गवमेन्ट) नियम 1955 के नियम 69 को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 01.04.2022 व दिनांक 17.10.2022 को विधिक रूप से डिसकस नहीं किया है। खेत खसरा नम्बर 484 व 1507/488 के खातेदारान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 18 ने अपीलान्टस की प्लींडिग का खण्डन नहीं किया है। खेत खसरा नम्बर 480 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 व खसरा नम्बर 1722/480 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 है। उक्त रेस्पोडेन्ट ने भी अपीलान्टस की प्लींडिग का स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में यह दर्ज किया है कि अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 488 में आवागमन हेतु पहले से रास्ता पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे राजकीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दर्ज रिकार्ड है और यह दर्ज किया है कि उक्त स्थिति तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से साबित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने भी अपने जवाब में यह कथन किया है कि खेत खसरा नम्बर 488 के पश्चिम में खसरा नम्बर 1754/486 व खसरा नम्बर 1755/488 रास्ता है। उपरोक्त उल्लेखित रास्ता खसरा नम्बर 755/488 खेत खसरा नम्बर 488 में ही है जो सरेन्डर कर अपीलान्टस ने अपने खेत में रास्ते का अंकन करवाया है। उक्त रास्ता किसी सड़क या आम रास्ते से लगता हुआ नहीं है। उक्त तथ्य की ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 01.04.2022 व 27.10.2022 से होती है। उक्त रास्ता अपीलान्टस ने अपने खेत में रास्ता कायम करने के उद्देश्य से जमीन सरेन्डर कर कटवाया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लींडिग व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व वस्तु स्थिति को समझे बिना ही उपरोक्त गलत फाईडिंग देकर निर्णय पारित कर दिया है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार कर धारा 251 ए का आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम धमोरा पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी के सरहद में भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 1.1620 हैक्टेयर भूमि अवस्थित जिसका प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहा है। लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि 488 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे राजकीय रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जो तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम धमोरा पटवार हल्का धमोरा तहसील उदयपुरवाटी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

के सरहद में भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 1.1620 हैक्टेयर भूमि अवस्थित जिसका प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण स्वयं की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की खातेदारी की भूमि में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खेत खसरा नम्बर 488 के पश्चिम में खसरा नम्बर 1754/486 व खसरा नम्बर 1755/488 रास्ता है। उपरोक्त उल्लेखित रास्ता खसरा नम्बर 755/488 खेत ख़सरा नम्बर 488 में ही है जो सरेन्डर कर अपीलान्टस ने अपने खेत में रास्ते का अंकन करवाया है। उक्त रास्ता किसी सड़क या आम रास्ते से लगता हुआ नहीं है। उक्त तथ्य की ताईद भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 01.04.2022 व 27.10.2022 से होती है। उक्त रास्ता अपीलान्टस ने अपने खेत में रास्ता कायम करने के उद्देश्य से जमीन सरेन्डर कर कटवाया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लींडिग व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व वस्तु स्थिति को समझे बिना ही उपरोक्त गलत फाईडिंग देकर निर्णय पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर बाद सुनवाई अपीलांट को आम रास्ते/सड़क से जोड़ते हुए रास्ता प्रदान करने के सदर्भ में गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर